न्यायालय, उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी, सिमडेगा।

एस0ए0आर0 अपील वाद सं0–01/2012–13

जुवेल टेटे
बनाम
अलबिनुस डुंगडुंग

आदेश

अपीलार्थी जुवेल टेटे वल्द स्व0 पतरस टेटे ग्राम सलडेगा थाना + जिला – सिमडेगा ने अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमडेगा द्वारा SAR वाद सं0–92/2010 (जुवेल टेटे बनाम अलबिनुस डुंगडुग) में दिनांक 08.02.2012 को पारित आदेश के विरूद्ध में यह अपील दायर किया है।

दिनांक 17.05.2012 को अपील सुनवाई हेतु अंगीकृत किया गया। उभय पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया। विपक्षी को न्यायालय में उपस्थित होकर कारण–पृच्छा दाखिल करने का आदेश दिया गया। विपक्षी द्वारा दिनांक 08.05.2014 को Rejoinder दाखिल किया गया। पुनः दिनांक 03.09.2015 को विपक्षी द्वारा Grant Injuction against the appellant दाखिल किया गया है। निम्न न्यायालय का एस0ए0आर0 केस रेकार्ड प्राप्त है।

वर्ष 2017 से लगातार बहुत दिनों तक उभय पक्ष अनुपस्थित रहे। पुनः उभय पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया। दिनांक 04.11.2020 को विपक्षी द्वारा अपने नये अधिवक्ता के साथ हाजिरी दाखिल किया। अपीलार्थी एवं उनके अधिवक्ता लगातार अनुपस्थित है।

अन्त में अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया एवं विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना।

अपीलार्थी ने अपने अपील आवेदन में उल्लेख किया है कि वे खतियानी रैयत पतरस खड़िया के वंशज है। मौजा – सलडेगा के खाता संख्या 56 कुल प्लाट 17 एवं कुल रकबा 11.71 एकड़ भूमि वापसी का अनुरोध करते है। अपीलार्थी का यह भी कहना है कि अनुमण्डल पदाधिकारी ने बिना किसी कारण के आवेदन खारिज कर दिया है। जबकि उन्हें भूमि वापसी का आदेश देना चाहिए था। इसलिए अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को स्थगित किया जाय एवं न्यायसंगत आदेश पारित किया जाय।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता ने अपने लिखित जवाब में बताया है कि विवादित भूमि मौजा सलडेगा के खाता संख्या 56 का सभी प्लॉट एवं रकबा की जमीन उनकी

(4) That, Learned Lower

रैयती भूमि है। विवादित भूमि उनके पूर्वज लोदो खड़िया के नाम से खतियान में बेआइनी बकब्जे वर्ष 1921 से दर्ज है तथा तब से वर्त्तमान तक से भूमि पर विपक्षीगण का दखल कब्जा है।

व्यवहार न्यायालय, सिमडेगा के Title Suit No. 2/1930 एवं अपील Title No. 159/1930/131/31 के द्वारा इस भूमि पर विपक्षी का हक सम्पुष्ट किया गया है। विपक्षी का विवादित भूमि पर लगभग 94 वर्षो से दखल–कब्जा कायम है। इसलिए अपीलार्थी का कोई हक नही बनता है। वर्त्तमान में राजस्व पंजी II में विपक्षी के नाम से जमावंदी कायम है। इसलिए अपील खारिज किया जाय।

उपरोक्त उभय पक्ष के दावे, अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश एवं अंचल अधिकारी के जांच प्रतिवेदन आदि से स्पष्ट होता है कि विपक्षी का भूमि पर हक वाजिब है, अतएव अपील आवेदन खारिज किया जाता है।

26.01.21

उपायुक्त,
सिमडेगा।

लेखापित एवं संशोधित

26.01.21

उपायुक्त,
सिमडेगा।

Digitally signed by SUSHANT GAURAV
Date: 2021.11.29 11:34:30 +05:30
Location: 192.168.0.104